संख्या-73/2023/।/329196/2023/001-71-2099-284-2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत संस्थान के ट्रामा सेन्टर हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने तथा उपकरण क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/बजट (2023-24)/1278, दिनांक 15.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्थान के ट्रामा सेन्टर हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने तथा उपकरण क्रय हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर हेतु उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष समस्त धनराशि रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी।
2. प्रस्तावित उपकरणों के क्रय से पूर्व उनकी स्थापना हेतु आवश्यक स्थान, मानव संसाधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आपूर्ति के उपरान्त तत्काल उपकरणों को स्थापित कराकर क्रियाशील किया जायेगा।

3. जिन उपकरणों के स्पेसिफिकेशन निर्धारित कर दिये गये हैं, तदनुसार ही कार्यवाही की जायेगी तथा संस्थान हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचाकिताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
5. स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
7. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेंदारी निदेशक/वित्त नियंत्रक/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
8. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्ताावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियॉ (Technical Specification) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
10. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निदेशक/वित्त नियंत्रक संस्थान द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त् नियंत्रक /विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।
13. संस्थान के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14. उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताऐं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।
15. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
16. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
17. प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिडयूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए।
18. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
19. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जाना चाहिए। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था की होगी।
20. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
21. धनरशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051600 संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रामा सेन्टर **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

संख्या-73/2023/I/329196/2023/001-71-2099-284-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा् शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी,संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

http://sha-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-73/2023/2023/।/329196/2023/001-71-2099-284-2021, दिनांक 08 जून, 2023 का संलग्नक।

LIST OF MEDICAL EQUIPMENTS AND SUPPORTIVE ITEMS FOR APEX TRAUMA CENTRE OF THE INSTITUTE FOR FINANCIAL YEAR 2023-24						
Sl. No.	**Name of Department**	**Name of Equipment**	**Qty**	**Unit Cost**	**Total Cost (Rs. In lacs)**	**Total Cost (Rs. In Lacs)**
1	**Orthopedics**					
	1	Battery drill with Saw attachment	3	20.00	60.00	
	2	Genera Orthopaedic instrument set	2	35.00	70.00	
	3	Electronic pneumatic Tourniquet System	3	10.00	30.00	
	4	Arthroscopy System	1	50.00	50.00	
	5	Laminectomy and Discectomy Set	1	25.00	25.00	
	6	Arthroscopy Instrument set	1	50.00	50.00	**285.00**
2	**Trauma Surgery**					
	1	4K Endo Vision system	1	110.00	110.00	
	2	Vats	1	85.00	85.00	**195.00**
3	**Laboratory Medicine**					
	1	Point of Care Viscoelastic assay (ROTEM), if not in POCT	1	25.00	25.00	
	2	Temperature Controlled Centrifuge	1	2.00	2.00	**27.00**
4	**Oral & Maxillofacial Surgery**					
	1	Micro drill and Saw for small bones	1	25.00	25.00	
	2	Genera Maxillofacial surgery instrument	1	10.00	10.00	
	3	Dental Chair	1	15.00	15.00	
	4	Wall Mounted X-ray Machine	1	2.00	2.00	
	5	Radiovisiography	1	3.00	3.00	
	6	Physiodispenser	1	8.00	8.00	**63.00**
5	**Physical Medicine and Rehabilitation**					

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	1	Portable Color Doppler Ultrasound Unit	1	25.00	25.00	
	2	Four Channel TENS	1	2.50	2.50	
	3	Laser Therapy Unit Portable	1	5.00	5.00	
	4	TILT-TABLE (Motorized)	1	2.50	2.50	**35.00**
6	**Microbiology**					
	1	Automated Bacterial Culture System	1	15.00	15.00	
	2	Automated bacteria Identification and Sensitivity System	1	25.00	25.00	
	3	BOD Incubator	1	6.00	6.00	
	4	Totally automated Chemiluminescence based auto analyzer	1	37.00	37.00	
	5	Digital Auto clave Horizontal	1	15.00	15.00	**98.00**
7	**For Operation Theatre**					
	1	Trans Cranial Doppler	1	35.00	35.00	
	2	Depth of Anaesthesia Monitor	2	3.00	6.00	
	3	Patient Controlled Analgesia Pumps	12	2.00	24.00	
	4	Blood and Fluid Warming System	4	1.00	4.00	
	5	Patient Warming System	4	1.50	6.00	**75.00**
8	**Post- Operative ICU**					
	1	Fiber optic Bronchoscope Adult and Pediatric	1	25.00	25.00	
	2	Patient Warming System	2	1.50	3.00	
	3	Blood and Fluid Warming System	4	1.00	4.00	**32.00**
9	**Neurosurgery**					
	1	Spine & Cranial Endoscopy System	1	125.00	125.00	
	2	Spine Operating Table	1	150.00	150.00	
	3	Genera Neurosurgical Instrument s	1	15.00	15.00	**290.00**
10	**Common for Pool**					
	1	lead Apron with thyroid collar	20	0.15	3.00	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	2	Spot Light	2	0.30	0.60	
	3	Tracheostomy Set	5	0.80	4.00	
	4	OT Work Station	2	90.00	180.00	**187.60**
11	**CSSD**					
	1	Steam Sterilizer (Double Door(Capacity 640 Ltrs/ 24 cuff with accessories	3	30.00	90.00	
	2	EO Gas Sterilizer Capacity 250-300 ltrs.)	1	34.15	34.15	**124.15**
12	**OTHER CAPITAL ITEMS**					
	1	Hospital/ Office/ Lab furniture, Office & Ward automation, computers, printers, photocopiers, CCTV, Office Equipments, Fridges, LED TV, Projectors Screen etc. and leftover liabilities.			200.00	**200.00**
					TOTAL COST	**1611.75**

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।